

लघु सिंचाई गणना
(संदर्भ वर्ष 2013-14)

हेतु
आँकड़े एकत्र करने के
लिए

अनुदेश पुस्तिका

भारत सरकार
जल ससाधन मंत्रालय

लघु सिंचाई (सांख्यिकी) स्कंध प्रस्तावना

केंद्रीय योजना "लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण (RMIS)", कोराज्यों / संघ शासित क्षेत्रों द्वारा लघु सिंचाई गणना के लिए 100% केंद्रीय सहायता के साथ, वर्ष 1987 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य, लघु सिंचाई क्षेत्र के संबंध में आगामी योजना बनाने हेतु एक व्यापक एवं विश्वसनीय आधारभूत आँकड़ों (डेटाबेस) का संग्रहण करना है। इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से अखिल भारतीय स्तर पर लघु सिंचाई योजनाओं की गणना कराई जाती है जिसमें प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर, राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में, भूमिगत जल एवं भू-सतह जल के लिए स्थापित/ निर्मित लघु सिंचाई संरचनाओं/ योजनाओं को शामिल किया जाता है।

प्रथम लघु सिंचाई गणना (संदर्भ वर्ष 1986-87) की रिपोर्ट वर्ष 1993 के नवम्बर माह में प्रकाशित की गई। द्वितीय लघु सिंचाई गणना (संदर्भ वर्ष 1993-94) का कार्य वर्ष 1994 के सितंबर माह में प्रारंभ हुआ एवं गणना की रिपोर्ट वर्ष 2001 के मार्च माह में प्रकाशित हुई। इस दौरान की गणना में, जल एवं ऊर्जा संरक्षण के नव विकसित उपकरणों जैसे स्प्रिंकलर (फव्वारा), ड्रिप सिंचाई (टपक) प्रणाली एवं गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों जैसे सोलर पम्पों और पवन चक्की के उपयोग के संबंध में भी जानकारीयाँ एकत्र की गईं। इसी दौरान पहली बार गणना के आँकड़ों का एनआईसी की मदद से कंप्यूटराइजेसन कराया गया एवं वैबसाइट पर रिपोर्ट उपलब्ध करा दी गई। तृतीय लघु सिंचाई गणना (संदर्भ वर्ष 2000-01) 33 राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में कराई गई एवं गणना की रिपोर्ट वर्ष 2005 के नवम्बर माह में प्रकाशित हुई। चतुर्थ लघु सिंचाई गणना (संदर्भ वर्ष 2006-07) की रिपोर्ट वर्ष 2013 के सितंबर माह में मंत्रालय की वैबसाइट पर प्रकाशित की गई। पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए गणना के आँकड़ों का उपयोग किया जाता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा भी, भूजल संसाधनों का आंकलन करने के लिए, गणना के आँकड़ों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय जल आयोग एवं जल संसाधन मंत्रालय के अन्य विभाग भी गणना के आँकड़ों का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं।

पाँचवी लघु सिंचाई गणना, वर्ष 2013-14 के संदर्भ वर्ष के लिए की जाएगी एवं क्षेत्र कार्य वर्ष 2014 के अक्टूबर माह से प्रारंभ किया जाएगा। इस अनुदेश पुस्तिका में, क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश एवं लघु सिंचाई योजना से संबंधित परिभाषाओं पर प्रकाश डाला गया है।

पाँचवी लघु सिंचाई गणना के कार्य की कार्ययोजना

गणना आयुक्त, नोडल अधिकारी एवं फील्ड एजेंसियों के लिए :

लघु सिंचाई गणना पूर्ण रूप से गणना आयुक्त, जो कि राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में नोडल विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी होंगे, के अधिकार एवं देख रेख में करायी जाएगी। गणना कार्य के लिए क्षेत्र कार्य नोडल विभाग अपने पास उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को देखते हुए या तो अपने निर्देशन में अथवा किसी अन्य एजेंसियों की सहायता से आउटसोर्स कराकर कर सकती है। राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत पंचायतों के अधिकारियों द्वारा आकड़ों का संग्रह ऐसा ही एक विकल्प हो सकता है। हालांकि, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के पूरे लघु सिंचाई गणना के क्रिया कलाप के दौरान लघु सिंचाई गणना आयुक्त एक संयोजन केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। आँकड़ों के संग्रहण का प्राथमिक कार्य प्रगणक द्वारा किया जाएगा। आँकड़ों के संग्रहण के लिए प्रगणक या तो ग्राम स्तर के कार्यकर्ता, विलेज अकाउंटेंट, लेखपाल अथवा पटवारी अन्यथा यदि प्रगणकों को आउटसोर्स किया जा रहा हो, निजी प्रगणक, हो सकते हैं। पर्यवेक्षण का कार्य क्षेत्र एजेंसी के उच्च पर्यवेक्षक स्तर के अधिकारियों को सौंपा जाएगा। हालांकि क्षेत्र कार्यके काम की समय गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु इसका ब्लॉक / जिला स्तर / राज्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जायगा। पर्यवेक्षक अधिकारियों को आँकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए लघु सिंचाई स्कीम की साइट का लगातार दौरा करके पूर्ण की गई प्रविष्टियों की जांच करनी होगी।

क्षेत्र कार्य :

- i) ग्राम अनुसूची लेखपाल अथवा पटवारी द्वारा भरी जाएगी।
- ii) राज्यों द्वारा नामित प्रगणकों द्वारा योजना अनुसूचियों को भरा जाएगा। क्षेत्र कार्य पर जाने से पहले प्राथमिक प्रगणकों को पिछली गणना, संदर्भ वर्ष 2006-07, में शामिल सभी स्कीमों की सूची साथ ले जाना चाहिए एवं उन स्कीमों को देख कर दोबारा, यदि उपयोग में हो तो, शामिल करना चाहिए। प्रगणकों को उन सभी स्कीमों के लिए अनुसूचियाँ भरनी चाहिए जो कि संदर्भ वर्ष से पहले पूर्ण कर ली गई हों।
- iii) जानकारी एकत्र करते समय प्राथमिक प्रगणक लघु सिंचाई स्कीम के लिए अनुसूची में आँकड़े या तो मूल रूप से स्कीम के मालिक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अथवा निकटतम पड़ोसी द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर भरेगा।
- iv) स्कीम का भौतिक सत्यापन भी प्रगणक द्वारा ही किया जाएगा। उनसे अपेक्षा की जाएगी की वे भविष्य के सत्यापन के लिए लघु सिंचाई संरचना पर अथवा पास की किसी भी निश्चित स्थायी संरचना पर काले रंग से योजना संख्या अंकित कर दें। गणना का उद्देश्य किसान को समझाया जाना चाहिए जिससे कि लघु सिंचाई कार्यों के संबंध में विशेष जानकारी का खुलासा करते समय उनको प्रगणकों पर विश्वास रहे। उन्हें इस बात का आसवासन भी दिलाना चाहिए कि उनके द्वारा प्रदत्त जानकारी पूर्ण रूप से गोपनीय रहेंगी। स्कीम से संबंधित कुछ विशिष्ट जानकारियाँ प्रगणकों द्वारा समक्ष परीक्षण के आधार पर ही एकत्र की जाएँगी।

क्षेत्र कार्यों का सत्यापन:-

ब्लॉक स्तर के अधिकारी आँकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए, अपने ब्लॉक में कम से कम 5 गाँवों का दौरा और भौतिक रूप से स्कीमों की उपस्थिति, गणना की गुणवत्ता और ग्राम में स्कीमों की स्थिति की हद का सत्यापन करेगा और प्रत्येक गाँव में कम से कम 5 स्कीम की समीक्षा करेगा जिससे की एकत्र किए गए आँकड़ों की शुद्धता की पुष्टि हो सके।

पर्यवेक्षण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात पर्यवेक्षण की रिपोर्ट कम्प्यूटर के माध्यम से जमा की जाएगी। जिला स्तर के अधिकारी अपने जिले के 5 अलग - अलग ब्लॉकों का दौरा करेंगे एवं प्रत्येक ब्लॉक में एक गाँव का चयन कर के हर चयनित गाँव की 5 स्कीमों का सत्यापन करेंगे। पर्यवेक्षण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात पर्यवेक्षण की रिपोर्ट कम्प्यूटर के माध्यम से जमा की जाएगी।

राज्य में केंद्र की ओर से नियुक्त राज्य स्तरीय सलाहकार, हर दूसरे दिन क्षेत्र का दौरा करेंगे एवं कार्य की प्रगति पर नज़र रखेंगे, साथ ही आँकड़ों की गुणवत्ता की जाँच करेंगे और प्रगणकों की वैचारिक समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे।

नोडल अधिकारी / सलाहकार को सभी निरीक्षण रिपोर्ट के सत्यापन के लिए जाना चाहिए एवं यदि किसी जगह सुधारात्मक निर्णय को लेना पड़े तो तुरंत ले लिया जाना चाहिए और उन्हे निरीक्षण की समेकित रिपोर्ट हर महीने की 10 तारीख तक केंद्र तक प्रेषित करनी होगी ।

सॉफ्टवेयरसंवर्धन:

सॉफ्टवेयर का संवर्धन एनआईसी द्वारा कराया जा रहा है जो कि राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी की सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। एनआईसी राज्य/ जिला / ब्लॉक स्तर पर आकड़ों के प्रक्रमण (डाटा प्रोसेसिंग) के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देंगे ।

चूंकि आँकड़ों के संसाधन के लिए आँकड़ों के मान्यीकरण, सारणीयन, रिपोर्ट तैयार करने हेतु सॉफ्टवेयर का संवर्धन का कार्य एनआईसी द्वारा संपादित किया जायेगा, अतः उनके द्वारा ही आँकड़ों के संसाधन हेतु एक अखिल भारतीय कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया जायेगा । इसके उपरांत राज्य/ जिला / ब्लॉक स्तर पर आकड़ों के प्रक्रमण (डाटा प्रोसेसिंग) के लिए एनआईसी अपने राज्य स्तरीय कार्यालयों की सहायता से प्रशिक्षण दिया जायेगा । सभी राज्यों के नोडल अधिकारियों को क्षेत्र कार्य प्रारम्भ होने तक आँकड़ों के संसाधन हेतु सॉफ्टवेयर के साथ सी डी उपलब्ध करा दी जायेगी ।

फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण:

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में 6 से 7 राज्यों के प्रति राज्य 4 से 6 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 5 क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा । तत-पश्चात, क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं में प्रशिक्षित राज्यों के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक राज्य/ संघ शासित क्षेत्र में अथवा छोटे राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों हेतु समूह में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँगी ।

सभी राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी आवश्यक सलाह हेतु उपस्थित रहेंगे। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं के बाद जिला / विकास खंड/ तहसील स्तर पर ग्रामों में क्षेत्रिय कार्य हेतु प्रस्तावित कर्मचारियों एवं निरीक्षकों हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँगी। उपयुक्त प्रशिक्षण हेतु हिन्दी एवं अंग्रेजी में पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण सी डी में सभी राज्यों को उपलब्ध करा दिये जायेंगे ताकि उनका संबंधित राज्य की भाषा में प्रस्तुतिकरण हेतु अनुवाद कर लिया जाए। प्रशिक्षण पुस्तिका, आँकड़ों के संग्रहण हेतु अनुसूचियों की हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रति भी सभी राज्यों को शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी, जिनका जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं से पूर्व, संबंधित राज्य की भाषा में अनुवाद एवं पर्याप्त संख्या में मुद्रण सुनिश्चित करा लिया जाए।

अनुसूचियों के प्रकार

इस गणना में तीन प्रकार की अनुसूचियाँ निर्धारित की गई हैं:- (i) ग्राम अनुसूची, (ii) भूजल योजनाओं की अनुसूची एवं (iii) सतही जल योजनाओं की अनुसूची ।

- (i) जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, कि ग्राम अनुसूची, जिसमें कि ग्राम के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल, सिंचित क्षेत्रफल एवं ग्राम में स्थित लघु सिंचाई योजनाओं, जल निकायों की जानकारी से संबंधित मद सम्मिलित हैं, पटवारी/ ग्राम के राजस्व दस्तावेजों को संधारित करने वाले कर्मचारी द्वारा उसके गाँव की पूर्ण जानकारी के हिसाब से भरी जाएगी ।
- (ii) भूजल संरचनाओं की अनुसूची में संबंधित भूजल स्कीम (कुएं /उथले नलकूप / मध्यम गहरे नलकूप / गहरे नलकूप) संबंधी विस्तृत आँकड़ों की जानकारी हेतु संबंधित मदों का समावेश किया गया है। ग्राम में स्थित ऐसी प्रत्येक भूजल योजना जो कि वर्तमान में सिंचाई हेतु उपयोग में है अथवा वर्ष 2007-08 या इसके बाद से उपयोग में नहीं है, के संबंध में एक अनुसूची भरी जायेगी ।
- (iii) सतही जल योजनाओं की अनुसूची में संबंधित सतही स्कीम (सतही प्रवाह योजना / सतह उद्वहन सिंचाई योजना) संबंधी आँकड़ों की जानकारी हेतु संबंधित मदों का समावेश किया गया है। ग्राम में स्थित ऐसी प्रत्येक सतही जल योजना जो कि वर्तमान में सिंचाई हेतु उपयोग में है अथवा वर्ष 2007-08 या इसके बाद से उपयोग में नहीं है, के संबंध में एक अनुसूची भरी जायेगी ।

प्रत्येक राजस्व ग्राम में सभी लघु सिंचाई हेतु ऐसी प्रत्येक योजना जो कि वर्तमान में सिंचाई हेतु उपयोग में है अथवा वर्ष 2007-08 या इसके बाद से उपयोग में नहीं है, के लिए प्रगणित अनुसूचियों की गुणवत्ता की पुष्टि करने के पश्चात गणना के लिए आँकड़े एकत्र किए जायेंगे। संस्थागत लघु सिंचाई संरचनाओं के लिए ली गई जानकारी का उपलब्ध रिकॉर्ड से मिलान करके जानकारी की पुष्टि जरूर की जाएगी।

संकल्पना एवं परिभाषा

कृष्य कमान क्षेत्र (सीसीए):

वह क्षेत्र जिसमें किसी स्कीम के तहत सिंचाई की जा सकती है और जो खेती के लिए उपयुक्त होता है।

कृषि योग्य क्षेत्र:

इसके अंतर्गत बोया गया कुल क्षेत्र, परती भूमि, वर्तमान बंजर (परती) क्षेत्र, अन्य भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि एवं विविध पेड़ों, फसलों के अंतर्गत की भूमि आती है।

सकल सिंचित क्षेत्र:

एक ही वर्ष में एक से अधिक फसल के लिए सिंचित क्षेत्र की गणना, बार - बार उगाई और सिंचित की गई फसलों की संख्या के आधार पर, करते हुए उसी वर्ष के दौरान विभिन्न फसलों के अंतर्गत आने वाला सिंचित क्षेत्र ।

सृजित सिंचाई क्षेत्र:

किसी एक स्कीम द्वारा किसी वर्ष के दौरान विभिन्न फसलों के लिए सिंचाई किए जाने के लिए प्रस्तावित कुल सकल क्षेत्र / एक ही वर्ष के दौरान एक से अधिक फसल के लिए सिंचाई किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र की गणना, कई बार उगायी गई सिंचित फसलों की संख्या के आधार पर की जाती है ।

प्रयुक्त सिंचाई क्षमता:

वर्ष के दौरान स्कीम के तहत सिंचाई किए जाने वाले सकल प्रस्तावित क्षेत्र में से संदर्भ वर्ष के दौरान वास्तव में सिंचित सकल क्षेत्र।

लघु सिंचाई (एमआई) स्कीम:

2000 हेक्टेयर तक के सीसीए वाली स्कीम को लघु सिंचाई स्कीम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

मध्यम सिंचाई स्कीम:

2000 हे. से अधिक और 10000 हे. तक की सीसीए वाली स्कीम मध्यम स्कीम होती है।

वृहद सिंचाई स्कीम:

10000 हे. से अधिक के सीसीए वाली स्कीम वृहद सिंचाई स्कीम होती है।

स्प्रिंकलर (फव्वारा) सिंचाई प्रणाली :


स्प्रिंकलन सिंचाई, सिंचाई जल प्रयोग करने की वह विधि है जो वर्षा जल के समान है । जल का वितरण सामान्यतया पंपिंग द्वारा पाइपों की किसी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है । इसे तब पूरे मृदा सतह पर स्प्रे हेड के माध्यम से इस प्रकार छिड़काव किया जाता है ताकि यह टूटकर छोटी- छोटी जल की बूंद बनकर भूमि पर गिर सके ।

ड्रिप (टपक) सिंचाई प्रणाली

ड्रिप (टपक) सिंचाई प्रणाली फसल के लिए जल को मुख्य लाइनों, उपमुख्य लाइनों और शाखा लाइनों के किसी नेटवर्क का प्रयोग करते हुए स्नाव बिंदुओं से उनके लिए बनाई गई ड्रिप्पर/एमिटर के माध्यम से ले जाया जाता है । प्रत्येक ड्रिप्पर/एमिटर, औरिफाइस परिमित और संक्षेप रूप में नियंत्रित एक समान जल का प्रयोग पोषक और अन्य अपेक्षित विकास संबंधी तत्वों की आपूर्ति सीधे तौर पर पौधे के जड़ क्षेत्र में करते हैं ।

नॉन सबमर्सिबल या सेंट्रीफ्यूगल पम्प :

यह पम्प का सबसे आम प्रकार है । आमतौर पर पम्प विद्युत मोटर के साथ बंद युग्मित होता है अर्थात पम्प, मोटर ड्राइव के शाफ्ट पर लगा होता है और पम्प को मोटर के साथ इस तरह जोड़ (बोल्ट) लिया जाता है की यह पूर्ण रूप से एक इकाई की तरह लगता है। पानी, आम तौर



पर, पम्प में एक तरफ लगे चूषक प्रवेशिका (सकसन इनलेट) के माध्यम से प्रवेश करता है और शीर्ष से बाहर निकलता है । लगभग सभी सुवाहय (पोर्टेबल) पम्प अंत चूषक (एण्ड सकसन) सेंट्रीफ्यूगल पम्प होते हैं। यदि कोई पम्प अगले दो विवरणित पंपों में से नहीं है तो हो सकता है कि वह अंत: चूषक (एण्ड सकसन) सेंट्रीफ्यूगल पम्प है। इस तरह के पम्पों को उपयोग में लाने से पहले यह आवश्यक हो जाता है कि इन पम्पों को उच्च पानी के स्तर से ऊपर एक मजबूत पैड या आधार पर स्थापित किया जाए, जैसे किसी झील या नदी से पानी पम्प करते समय ।

सबमर्सिबल पम्प :

इन पम्पों को पूरी तरह से मोटर समेत पानी के भीतर स्थापित किया जाता है। पम्प की एकल इकाई में विद्युत मोटर एवं पम्प संयुक्त रूप से होते हैं। आम तौर पर यह एक लंबे सिलेंडर के आकार का होता है जिससे पम्प को कुएं के अंदर नीचे उसके आवरण (केस) पर आसानी से फिट किया जा सके। यद्यपि अधिकतर सबमर्सिबल पम्प कुएं के अंदर स्थापित करने के लिए तैयार किए जाते हैं फिर भी बहुत से झील या नदी के किनारे या उनके तली में स्थापित किए जा सकते हैं। नदी या झील की जगह पर स्थापित करने का एक अन्य तरीका यह है कि सबमर्सिबल पम्प को पानी के अंदर घाट ढेर के साथ लगा कर उपयोग किया जाए।। सबमर्सिबल पम्पको पानी के अंदर रहने के कारण किसी भी अस्तर की आवश्यकता नहीं होती है । इनकी कार्य क्षमता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वे केवल पानी को बाहर निकालते

हैं,उनको अपने अंदर पानी खींचने की आवश्यकता नहीं होती है । अधिकांश सबमर्सिबल पंप को विशेष स्लीव में स्थापित होना चाहिए यदि वह कुंए में स्थापित नहीं है । कभी-कभी एक समतल स्लीव की आवश्यकता होती है जब वह कुंए में स्थापित होते हैं । स्लीव पंप के अंदर आरहे पानी पर दबाव डालता है, जिससे पानी पंप की सतह के ऊपर बहता है जो मोटर को ठंडा रखता है । बिना स्लीव के मोटर जल जायेगी। क्योंकि पम्प की तारें पानी में से हो कर जाती हैं इसलिये किसी भी आकस्मिक दुर्घटना से बचने के लिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है।

टरबाईन और जेट पंप :-

टरबाईन पंप बुनियादी तौर पर एक सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प होता है जो कि पानी के अंदर रखा जाता है और एक धुरी के माध्यम से,पानी के ऊपर रखेमोटर द्वारा जुड़ा रहता है । प्रायः साफ्ट लंबे पाईप के मध्य भाग से होते हुए नीचे की ओर आती है । इस पाईप से पानी ऊपर खींचा जाता है और ठीक मोटर के नीचे से फिर सीधे बाहर निकलता है । टरबाईन पंप की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और इसे मुख्यतः बड़े पंप के रूप में उपयोग किया जाता है । इस प्रकार के पम्प का उपयोग निगम द्वारा लगाये गए वाटर सिस्टम कुंओं में होता है । जब भी कुंए के ऊपर एक विशाल मोटर देखा जाता है, तो यह आम तौर पर एक टरबाईन पम्प ही होता है। हम अक्सर बड़े मैदान या गोल्फ कोर्सेस के लिए टरबाईन पम्प का उपयोग करते है जहां तालाब से पानी खींचते हैं । टरबाईन पंप एक कंक्रीट से बने बड़े कमरे (गुंबज) में रखा रहता है, जो एक पाईप के साथ झील से जुड़ा होता है । पानी गुरुत्व के कारण कमरे (गुंबज) की ओर बहता है जहां वह पम्प के अंदर जाता है । पंप की मोटर गुंबज के ऊपर एक ढांचे पर लटकी रहती है । जेट पंप,टरबाईन पंप के समान होता है, परंतु यहपानी को नली के प्रवेश द्वार से वापिस उसी तरफ भेजता है जो पानी के उद्वहन में सहायता करता है ।

जल स्रोत:-

वह सभी प्राकृतिक एवं कृत्रिम इकाइयां जिनमें सिंचाई या अन्य उद्देश्य से जल संग्रह किया जाता है एवं इनका निर्माण कुछ ईट-पत्थर से चिनाई करके या उसके बिना किया जाता है,जल स्रोत के अंतर्गत आते हैं । प्रायः भिन्न-भिन्न प्रकार के जल स्रोत अलग-अलग नामों से जाने जाते हैं;जैसे तालाब, जलाशय, पोखर, बंधियां आदि ।

पोखर :-

एक छोटा जल स्रोत जो कि सामान्य रूप से मिट्टी से बना हुआ होता है,कारीगरों द्वारा बना छोटा बांध भी पोखर की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त खुदाई के द्वारा बना उथला जल स्रोत जो एक जल परिवेश के स्वरूप होता

है, भी पोखर कहलता है । साधारणतः पोखर एक छोटाजल स्रोत होता है और इसे पार करने के लिए किसी को नाव की आवश्यकता नहीं होती है ।

तालाब :-

एक उथले तालाब की इकाई, प्रायः पोखर से बड़ी, मिट्टी खोद कर निर्मित या चुनाई द्वारा निर्मित होती है, जिसमें या तो नलकूपसे या वर्षा से पानी भंडारित करते हैं ।

जलाशय :-

पानी को रोकने के लिए बहुत बड़े एवं विभिन्न आकार का बनाया गया बंध, बांध बैराज या किसी नदी या जल प्रवाहके ऊपर लगाया हुआ हाईड्रोलिक स्ट्रक्चर जो एक या अनेक उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जा रहा हो; जैसे सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण या दूसरे जल संसाधन विकास योजना के लिए आदि, जलाशय की श्रेणी में आते हैं ।

1. भूजल योजना :-

क. खुदे हुए कुएं :- इसमें सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल निकासी हेतु जल धारण करने वाले स्तर पर भूसतह से खुदे अथवा भूस्थापित किए हुए विभिन्न आकार के साधारण खुले कुएं शामिल हैं । ये आजकल मुख्य तौर पर कुएं -सह बोर होते हैं अथवा चुनाई वाले कुएं, कच्चे कुएं भी होते हैं जिनसे पानी मनुष्य या जानवरों की सहायता से निकाला जाता है । प्रायः सभी ऐसी स्कीमें निजी स्वरूप की होती हैं जो एकल कृषक से संबंधित होती है कुएं का व्यास 6 मीटर तक और गहराई 8 से 15 मीटर तक होती है । मनुष्य या जानवरों की सहायता से जल निकासी वाले कुओं का प्रस्तावित सिंचित क्षेत्रफल 2 हेक्टर तक हो सकता है अपितु कुएं -सह बोर का प्रस्तावित सिंचित क्षेत्रफल उसके समान क्षमता तथा बोर की गहराई वाले नलकूप के बराबर हो सकता है ।

ख. उथले नलकूप :- इसमें भूमि के अंदर छिद्रित क्षेत्रों से भूजल का उपयोग करने के प्रयोजन से भूमि में निर्मित बोर होल शामिल है। तलछटी संरचनाओं में किसी उथले नलकूप की गहराई 35 मी. से अधिक नहीं होती है। ये नलकूपया तो विवर (केविटी) नलकूपहोते हैं अथवा क्षिद्रित (स्ट्रेनर)नलकूपहोते हैं। इनकी ड्रिलिंग सामान्यतया हैंड बोरिंग सेटों और कभी-कभार आघात रिंगों का प्रयोग करे हुए, आघात विधि द्वारा की जाती है। स्कीम की सफलता और लोकप्रियता इस बात पर निर्भर करती है कि ये कितनी सस्ती है। लोहे के फ्रेम के ऊपर नारियल की सुतली से बाँधकर बनाई गई नारियल की संरचनाओं का स्ट्रेनर के रूपमें प्रयोग किया जाता है । कभी-कभी स्टील पाइपकेसिंग के स्थान पर बांस के फ्रेम के ऊपर बिटुमिनाइज्ड जूट बैगों को लपेट कर गए पाइपों का प्रयोग किया जाता है। इन्हे बोरवेल कहा जाता है जिसमें निचले हिस्से

में पक्का किए बगैर बोर होल स्थायी होता है और ट्यूब को केवल ऊपरी क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। सिंचाई मौसम के दौरान उथले ट्यूब-वेलो से सामान्यतया 6 से 8 घंटों के लिए काम लिया जाता है और इनसे प्रतिदिन 100-200 घनमी. जल प्राप्त होता है जो कि मोटे तौर पर किसी समान्यकुएं से लगभग 2 गुना अधिक है। इस स्कीम का सीसीए 10 हे. तक हो सकता है।

ग. मध्यम गहरे नलकूप :- इसमें भूमि के अंदर छिद्रित क्षेत्रों से भूजल का उपयोग करने के प्रयोजन से भूमि में निर्मित बोर होल शामिल है। तलछटी संरचनाओं में किसी मध्यम गहरे नलकूप की गहराई 35 से 70 मी. तक होती है। सिंचाई मौसम के दौरान मध्यम गहरे ट्यूब-वेलो से सामान्यतया 8 से 10 घंटों के लिए काम लिया जाता है और इनसे प्रतिदिन 200-300 घनमी. जल प्राप्त होता है जो कि मोटे तौर पर किसी समान्यकुएं से लगभग 3 गुना अधिक है। इस स्कीम का सीसीए 10 से 15 हे. तक हो सकता है।

घ. गहरे नलकूप:- यह सामान्यतः 100 मी. और उससे अधिक की गहराई में स्थापित होता है और इसकी डिजाइन ऐसी होती है जिससे प्रतिघण्टा 100 से 200 घनमी. जल निकासी होती है। गहरे नलकूप की ड्रिलिंग रोटरी आघात अथवा रोटरी सह-आघात रिगों के द्वारा की जाती है। ये नलकूप सिंचाई मौसम के दौरान पूरे 24 घंटे काम कर सकते हैं जो कि विद्युत की उपलब्धता पर निर्भर है। उनकी वार्षिक क्षमता किसी औसत उथले नलकूपसे मोटे तौर पर 15 गुना अधिक है और जिनका निर्माण सामान्य रूप से सार्वजनिक स्कीम के रूप में किया जाता है जो सरकारी विभागों अथवा निगमों के स्वामित्व में होते हैं। इन स्कीम का सीसीए लगभग 50 हे. तक हो सकता है।

2. सतही जल स्कीम:

क. सतही प्रवाह सिंचाई स्कीम:

इन स्कीमों के द्वारा सिंचाई प्रयोजनों के लिए वर्षा जल का या तो इसे भंडारित करके अथवा झरनों, नाले अथवा नदी से इसे डाइवर्ट करके प्रयोग किया जाता है। कभी कभार किसी झरने अथवा नदी के प्रवाहित जल का इस्तेमाल करने के लिए स्थायी डाइवर्जन भी बनाये जाते हैं। जो वर्षा मौसम के दौरान सामान्यतः बह जाते हैं। छोटे भंडारण टैंकों को तालाब अथवा बूंदी कहा जाता है जो अधिकांशतः समुदाय के स्वामित्व वाले होते हैं। इस प्रकार की स्कीमों के कमान क्षेत्र 20 हे. अथवा उससे कम होते हैं। बड़े भंडारण टैंक जिनका कमान 20 से 2000 हे. तक होता है, का निर्माण सामान्यतः सरकारी विभागों अथवा स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है। ये सतही लघु सिंचाई कार्यों के सबसे बड़े मद हैं।

(i).भंडारण स्कीमें :

भंडारण स्कीमों में वे टैंक और जलाशय शामिल हैं जिनमें सिंचाई प्रयोजनों के लिए झरनों और नदियों के जल एकत्र किए जाते हैं। कुओं के बाद लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत टैंकों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडू राज्यों में लघु स्रोतों से कुल सिंचाई का लगभग दो-तिहाई हिस्सा उपलब्ध कराते हैं। विषम स्थलाकृति और पथरीली अधस्तर, टैंक सिंचाई के लिए काफी उपयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त, कई क्षेत्रों में टैंकों का आगे निर्माण की संभावना विद्यमान है। काफी समय तक मरम्मत की उपेक्षा होने के कारण दक्षिणी राज्यों में विद्यमान टैंकों में से कई उपयोग में नहीं हैं। खोई हुई सिंचाई क्षमता पुनः प्राप्त करने के लिए इन टैंकों के नवीकरण को लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकता दी जा रही है।

इन स्कीमों की अनिवार्य विशेषताएँ हैं:- (i) कोई बांध अथवा कोई बंध जो सामान्यतः मिट्टी का होता है किन्तु कभी-कभार आंशित अथवा पूर्णतः चिनाई का होता है, (ii) समीपवर्ती स्रोतों से जल डाइवर्ट करने के लिए एनिकट और फीडर चैनल, (iii) अधिशेष बाढ़ के पानी को निकालने के लिए एक व्यर्थ वीयर (कोई फाटक), (iv) संवहन एवं वितरण प्रणाली ।

भण्डारण के आकार का निर्धारण, आवाह (केचमेंट) में निर्भरणीय मानसून वर्षा के आधार पर प्रत्याशित अपवाह (ड्रेनेज) द्वारा तथा उस वास्तविकता द्वारा किया जाता है कि क्या वर्षा और फसल पद्धति टैंक को एक बार से अधिक बार भरने की अनुमति प्रदान करती है। अपवाह (ड्रेनेज) की गणना करने का सबसे उत्तम और सीधा तरीका कई वर्षों के लिए प्रस्तावित स्थल पर धारा के प्रवाह का मापन होगा।

तथापि, कई वर्षों से प्रेक्षित आँकड़े सामान्य तौर पर उपलब्ध नहीं हैं, इसलिये ऐसे क्षेत्र के लिए विगत के अनुभव से व्यवहार्य पाये गए प्रयोगश्रित फार्मूले के आधार पर अपवाह की गणना की जाती है। जब कई बिंदुओं पर उसी घाटी में बंध बनाते हुए कई श्रेणियों में टैंकों का निर्माण किया जाता है तब बंध आवाह से कुछ स्पिलओवर उपलब्धि भी इसके लिए उत्तरदायी होती है। कुछ प्रतिशत तक प्रदान किए गए सकल भण्डारण में समय के साथ गाद जमा होने से खपत किए जाने वाले निष्क्रिय भंडारण के लिए प्रावधान की अनुमति दी गई है।

जल के प्रति यूनिट सिंचित फसल क्षेत्र के संबंध में कुछ मानक प्रभारों के आधार स्कीम का सिंचाई योग कमान निर्धारित किया जाता है । क्षेत्र में विगत के अनुभव के आधार पर प्रस्तावित फसल पद्धति के बारे में निर्णय लिया जाता है। पक्की ढाल पर प्रवाहित होने

वाले बाढ़ के निस्सरण की संगणना प्रयोगश्रित आधार पर की जाती है जिसे सामान्य तौर पर इस क्षेत्र के प्राप्त अनुभव से अच्छा माना गया है । सामान्य तौर पर टैंक के विभिन्न गटक भागों के डिजाइन के लिए विशेष इंजीनियरी संबंधी ज्ञान की आवश्यकता होती है।

टैंक मुख्यतः दो कारणों से विफल रहते हैं: (i) तल में गाद जमा होने से, और (ii) अधिशेष जल की अपर्याप्त व्यवस्था अथवा बांध के खराब रखरखाव के कारण कटाव आने से/ लघु सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत खोई हुई सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित करने के लिए परित्यक्त टैंकों के नवीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है । पुनरुद्धार संबंधी कार्य में सामान्यतः (i) बांध को सुदृढ़ करना अथवा उसे ऊँचा उठाना, (ii) समय- समय पर तल से गाद हटाना शामिल है। गाद हटाना एक महंगी प्रक्रिया है किन्तु कुछ मामलों में इसे पूर्व में जलमग्न भूमि के कुछ भाग का सुधार करने के लिए उत्खनित भूमि का उपयोग करते हुए इसे सस्ता बनाया जा रहा है। सामान्यतः पुनरुद्धार कार्य राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है । नवीकरण के बाद, विनिर्दिष्ट एकड़ से कम सिंचाई कार्य रखरखाव के लिए पंचायतों को सौंप दिया जाता है । अधिक सिंचाईक्षमता वाले कार्यों का रखरखाव लोक निर्माणविभाग द्वारा किया जाता है। नए कार्यों को नए कार्य के रूप में सामान्यतः राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रारंभ किया जाता है।

(ii) डाइवर्जन स्कीमें:

इन स्कीमों का लक्ष्य किसी भण्डारण को सृजित किए बगैर झरने की जल आपूर्ति का डाइवर्जनकरते हुए गुरुत्व प्रवाह सिंचाई मुहैया करना है । भण्डारण स्कीमों की तुलना में ये मितव्ययी हैं किन्तु उनकी व्यवहार्यता वास्तविक सिंचाई जरूरतों के समय झरने में विद्यमान प्रवाह पर निर्भर है। ऐसी स्कीमों में (i) जल को ऊपर उठाने और डाइवर्ट करने के लिए झरने के ऊपर निर्मित अवरोध (वीयर) अथवा बंध; जिस वीयर को दक्षिण में थिंगल के नाम से जाना जाता है, और (ii) एक कृत्रिम चैनल, जिसे पहाड़ी क्षेत्रों में कुहल, छोटा नागपुर और बिहार में पाइन और असम क्षेत्रों में डोंग और इल्होकोंग कहा जाता है, अनिवार्य रूप से शामिल है। छोटी स्कीमों, जिनका पहाड़ी भूभागों और पहाड़ी तलहटियों में काफी महत्व है, के मामले में झरनों के ऊपर अस्थाई बंधों का निर्माण करते हुए जल को सामान्य तौर पर डाइवर्ट किया जा अहै। कम पैमाने पर निस्सरण होने के कारण प्रवाह के नियंत्रण और विनिमयन के लिए चैनल के शीर्ष पर बंध को कोई गेटेड संरचना प्रदान नहीं की जाती। अतः निर्माण कार्य सरल और सस्ता है और इसे काफी हद तक स्वयं लोगो द्वारा भी संचालित किया जा सकता है। तथापि, ये निर्माण कार्य अस्थाई होने के कारण, इनका लगातार नवीकरण आवश्यक है। बंधों के प्रत्येक बड़ी बाढ़ से बह जाने की संभावना

बनी रहती है। चैनलों में गाद भी जमा हो जाती है और लगातार निघर्षण होता रहता है। यह आवश्यक है कि जब कभी ऐसी स्कीमों का उद्देश्य उच्च निस्सरण अर्थात् 5 से 10 क्यूसेक डाइवर्ट करना अथवा बाढ़ निस्सरण की उच्च सघनता वाले झरनों से संबंधित कार्य हाथ में लेना होता है तब उपयुक्त किस्म के गेटों से सुसज्जित समुचित विनियमन संरचनाएं प्रदान की जाती हैं। ऑफ टेकिंग चैनलों में सिल्ट (गाद) के प्रवाह को विनियमित करने के लिए वीमर के स्कौटिंग स्लूइस प्रदान की जाती है। चुनाई वीयर का निर्माण तुलनात्मक दृष्टि से सरल और सस्ता पड़ता है जबकि स्ट्रीम बेड के नीचे पथरीली बुनियाद उपलब्ध होती है । पारगम्य और अपरदन वाली बुनियाद पर वीयर की डिजाइन काफी जटिल होती है और इस संबंध में विशेष अभियांत्रिकी ज्ञान की आवश्यकता है।

डाइवर्जन स्कीमों की सिंचाई क्षमता, सिंचाई की आवश्यकता के समय धारा में उपलब्ध वास्तविक प्रवाह पर निर्भर करती है। अतः इन स्कीमों की व्यवहार्यता और आर्थिक पहलू तय करने पूर्व ठंडे मौसम और गर्म मौसम के प्रवाह को ध्यानपूर्वक निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। यह विशेषकर उन गैर- हिमपोषित फ्लैशी धाराओं के मामले में महत्वपूर्ण है जिनमें बरसात के मौसम में अचानक जल स्तर बाढ़ जाता है जिसके पश्चात उनमें निस्सरण पर्याप्त मात्रा में कम हो जाता है । केवल मानसून मौसम के दौरान जल की आपूर्ति करने वाले खरीफ अथवा मानसून चैनलों के रूप में कुछ डाइवर्जनस्कीमों का भी निर्माण किया जाता है । इस प्रकार की स्कीमें धान के लिए अतिरिक्त सिंचाई मुहैया कराने और रबी की बुआई के लिए शुरू- शुरू में पटवन करने के लिए उपयोगी हैं।

अधिकांश पहाड़ी क्षेत्रों में, कुल्स केनाम सेजानेवालेछोटेसिंचाई चैनल ही सिंचाई केसाधन हैं । इनचैनलों सेझरनोंकेऊपर अस्थाई अथवा पक्के बंध का निर्माण कर झरनोंसे डाइवर्ट करकेजल प्रवाहित होता है । इन चैनलों का निर्माण बड़ी विकट स्थितियों में खतरनाक पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है । जल का रिसावरोकने तथा स्थिरता के वास्ते अधिकांश खंडों पर इन चैनलों को पक्काकिया जाता है ।

(iii) जल संरक्षण-सह-भू-जल पुनर्भरण स्कीमें :

इनके अंतर्गत वे स्कीमें शामिल हैं जो प्रमुखतः निम्नलिखित में से एक अथवाएक से अधिक प्रयोजनों की पूर्ति होती है : (i) पश्च मानसून फसलों कीबुआई के लिए मानसून के दौरान कृषि भूमि को जलमग्न करना, (ii) सिंचाई के बगैर पश्च मानसून फसलों को उगाना और भूजल के पुनर्भरण के लिए अनुप्रवाह पर स्थित इससे निचले खेतों के नमी क्षेत्र का सुधार करना। इन स्कीमों का एक अतिरिक्त लाभ यह है कि इनसे मृदाका संरक्षण करने में मदद मिलती है । जब इन स्कीमों का निर्माण टैंकों के नीचे में स्थित

आवाह क्षेत्र की व्यवस्था हेतु, मुख्य जल क्षेत्र में किया जाता है तब इनसे इन टैंकों में गाद जमा होने की दर में कमी लानेका महत्वपूर्ण मकसद हल होता है ।

खेतकी मेंड़ों के माध्यम से जल संरक्षण की प्रणाली मध्य भारतीय भूभागों में विशेष तौर पर अपनाई जाती है और यह प्रणाली उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान में आम रूप से प्रचलन में है । बुंदेलखंड क्षेत्र में ये स्कीमें आम तौर पर बुंधी के नाम से प्रचलित हैं जिनमें हलके ढलान वाली भूमि के ऊपर रखे गएमिट्टी के मेड़ शामिल हैं । बरसात के मौसम में, प्रति प्रवाह पर जल का भंडारण होता है और भूमि में पानी भर जाता है । यदि भूमि में क्रमिक ढाल होता है तो निचली मेड़ों के होने के बावजूद, अक्सर बड़े क्षेत्रों में पानी भर जाता है । सामान्यतः सीधे तौर पर सिंचाई नहीं होती है और जलमग्नता के कारण अधिकांशतः लाभ होता है । करीब-करीब इन सभी क्षेत्रों में, सामान्यतः मृदा काली है जिसमें नमी बनी रहती है । बरसात के मौसम के दौरान भूमि जलमग्न रहने के पश्चात मृदा में अच्छी रबी फसल उगाने के लिए पर्याप्त नमी बनी रहती है । शेष जल को निकालकर जलमग्न भूमि को खेती के लिए उपलब्ध कर दिया जाता है । इसी रूप में भूमि के जलमग्न होने का दूसरा फायदा यह है कि पहली बाढ़ के साथ काफी गाद जमा हो जाती है जो खाद का काम करती है । खड़ी ढाल के ऊपर जल के मुक्त प्रवाह को रोक कर भूमि की मृदा भी संरक्षित की जाती है ।

बिहार में आहर जिनमें धान की खेत की सिंचाई के लिए जल जमा किया जाता है, से भी इस प्रकार का काम होता है । धान की खेत की सिंचाई के लिए अक्टूबर में जल को बचाकर रखा जाता है और आहरोंकी तलहटी में जिन खेतों से पानी निकाल दिया जाता है उनमें रबी फसलों की खेती की जाती है । उड़ीसा में सामान्यतः प्रचलित शीर्ष जल टैंकों की भी इसी प्रकार की भूमिका है । इनमें परिश्रवण, और सतही प्रवाह द्वारा बंधों के अनुप्रवाह के वृहत घाटी क्षेत्र में संचयी अपवाह को रोकने और डाइवर्ट करने के उद्देश्य सहित गल्ली के शीर्ष पर ढलान के ऊपर स्थापित बंध शामिल है । मानसून मौसम के दौरान बंधों की अधिकतम भंडारण क्षमता में प्राप्त बाढ़ जल को ले जाने के लिए किनारों में सतही चैनल प्रदान किए जाते हैं ।

भूजल के पुनर्भरण के प्रयोजन के लिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और राजस्थान में प्रमुखतः निर्मित परिश्रवण टैंक प्रचलन में है । राजस्थान में चेक बांध अथवा रपट प्रचलन में हैं । उनमें सतही प्रवाह और सपाट धारा का बेड स्लोप बनाते हुए कुछ हद तक उप सतही प्रवाह को भी कमकरने के प्रयोजन के लिए धाराओं के ऊपर बने बंध शामिल हैं । इससे भूजल आपूर्ति की निरंतर वृद्धि से उप मृदा में जल का बढ़ा हुआ परिश्रवण होता है।

बड़े आवाहों को रोकने वाले बड़े मेड़ों के मामले में यह आवश्यक है कि बाढ़ के पानी को जाने देने के लिए एक अथवा दोनों किनारों (फ्लैंकों) अथवा कुछ अन्य उपयुक्त स्थान पर पर्याप्त व्यवस्था की जाती है। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती है तो मेड़ों में दरार आ जाने की संभावना हो जाती है।

क. सतही लिफ्ट सिंचाई स्कीम :

उन क्षेत्रों में जहां की स्थलाकृति नदियों और झरनों से सीधे प्रवाह वाली सिंचाई की अनुमति नहीं देती है, वहां पर जल सिंचाई चैनलों में लिफ्ट किया जाना होता है। ये कार्य डाइवर्जन स्कीमों के समान ही हैं किंतु, इसके अतिरिक्त पम्प संस्थापित किए जाते हैं और पम्प हाउसों का निर्माण कराया जाता है। ये स्कीमें मंहगी होने के कारण केवल उन्हीं क्षेत्रों में व्यवहार्य हैं जहां पर (i) ग्रेविटी बहाव सिंचाई संभव नहीं है (ii) वहां पर सिंचाई की अधिक मांग है और कृषक उत्साही हैं (iii) वर्ष में लगभग 200 दिनों के लिए झरनों में जल उपलब्ध होता है और (iv) सस्ती बिजली उपलब्ध है। जल निकासी के लिए डीजल से चलने वाले पंप सेटों के संस्थापन से इन स्कीमों की प्रचालन और रखरखाव लागत अत्यधिक पड़ती है। तथापि, एकल कृषक द्वारा निस्सरण की कम मात्रा में निकासी के लिए छोटे डीजल इंजन पंप सेट व्यवहार्य हैं क्योंकि वे जल स्रोत अथवा स्रोतों के विभिन्न बिंदुओं पर संस्थापन के लिए अधिक लचीलापन और गतिशीलता प्रदान करते हैं। कुछ क्षेत्रों में जल निकालने के लिए सौर पंपों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन स्कीमों का सीसीए लगभग 20 हे. तक हो सकता है।

लघु सिंचाई गणना अनुसूची

ग्राम अनुसूची:

यह अनुसूची हर जिले में प्रत्येक ग्राम के लिए भरी जाएगी, जिसमें गाँव के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ भरी जाएंगी।

i) पहचान :

राज्य / जिला / ब्लॉक / तहसील / ग्राम का नाम 2011 की जनगणना के आधार पर,राज्यों द्वारा अद्यतन किए गए कोड के साथ भरा जाएगा।

यदि 2006-07 के बाद कोई नया जिला, ब्लॉक या गाँव बना हो तो उसका, एनआईसी के परामर्श से राज्य के द्वारा दिये गए नए कोड का अलग से उल्लेख किया जाए।

गणना की तारीख : दिनांक/माह/ वर्ष के प्रारूप में दर्ज की जाएगी ।

DD	MM	YY
----	----	----

ii) विशेष सूचना:

- गाँव को जनजातीय आबादी के अनुपात के आधार पर राज्य में प्रचलित परिभाषा के अनुसार जनजातीय गाँव के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो गाँव को जनजातीय गाँव के लिए कोड 1 लिखा जाएगा अन्यथा कोड 2 लिखा जाएगा।
- क. यदि कोई मध्यम या वृहद सिंचाई योजना गाँव के क्षेत्र में विद्यमान है तो कोड 1 होगा अन्यथा कोड 2 लिखा जाएगा।
ख. यदि 2.क. में कोड 1 लिखा जाता है तो मध्यम या वृहद सिंचाई योजना(ओं) के नामों का उल्लेख किया जाएगा ।
- गाँव के रिकॉर्ड के अनुसार, गाँव का कुल क्षेत्रफल (इसमें आबादी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र सम्मिलित है) पूर्ण हेक्टेयर में लिखा जाएगा।
- गाँव का वह क्षेत्र जो किसी भी मौसम में खेती के लिए उपयुक्त है, कृषि योग्य क्षेत्र में शामिल किया जाएगा और यह क्षेत्र क्रमांक 3 में दाखिल किए गए गाँव के कुल क्षेत्र से सामान्यतः कम अथवा बराबर होगा। यदि कृष्य क्षेत्र काफी कम अंकित पाया जाता है तो इस संदर्भ में टिप्पणी दी जायेगी ।
- किसी फसल वर्ष में उसी वर्ष के किसी सत्र में गाँव में कुल क्षेत्र जिसमे खेती और बुआई की गई हो, कुल बुआई के क्षेत्र के रूप में लिया जाएगा और फिर

यदि इस क्षेत्र में अलग-अलग सत्र में फसल बुआई की जाती है तो इस क्षेत्र को दुबारा नहीं गिना जाएगा । किसी भी बुआई क्षेत्र को केवल एक बार ही गिना जाएगा। कुल बुआई क्षेत्र गाँव के कृषि योग्य क्षेत्र से सामान्यतः कम होना चाहिए।

6. विभिन्न फसल सत्रों के लिए सकल सिंचित क्षेत्र, अलग-अलग सत्र के लिए गिना जाएगा। किसी विशेष सीजन में फसल सिंचाई सहित बुआई का क्षेत्र सत्र के लिए गिना जाएगा और इस कार्यविधि को अलग-अलग सीजन में गाँव के किसी भी क्षेत्र में फसल के लिए की गई बुआई के लिए दोहराया जाएगा।
7. गाँव में किसी भी मौसम में किसी फसल को उगाने हेतु यदि सिंचाई की गई तो ऐसा क्षेत्र शुद्ध सिंचित क्षेत्र माना जाएगा । यदि एक ही खेत में विभिन्न फसलों के लिए एक से अधिक बार सिंचाई की गई हो तो ऐसे क्षेत्र को एक ही बार गिना जाएगा ।
8. गाँव में भूजल का स्तर (मीटर में, संदर्भ वर्ष 2013-14 मानसून के आने से पहले की अवधि के लिए लिया जाएगा । गाँव में औसत भूजल स्तर दृश्य आधार पर नोट किया जाना चाहिए, जिसे कृषि वर्ष 2013-14 के पहले के लिए मानसून के आने से पहले के लिए रिकॉर्ड माना जाएगा। यदि गणना के पिछले रिकॉर्ड में महत्वपूर्ण वृद्धि या कमी पाई जाती है तो इस संबंध में टिप्पणी दी जाएगी।
9. जल निकायों की संख्या: जल निकायों, जैसे जलाशय, टैंक, तालाब, जो कि सतह पर जल भंडारण के उद्देश्य से बनाये जाते हैं और चालू हालत में हैं, इस मद में दाखिल किए जायेंगे। भाग (क) में उन जल निकायों को गिना जाएगा जो कि सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते हैं । भाग (क) में वो जल निकाय जो कि सिंचाई के उद्देश्य से उपयोग में लाये जाते हों और इसके अलावा जिनका उपयोग किसी और उद्देश्य हेतु किया जाता हो या नहीं किया जाता हो । इन जल निकायों के लिए सतह जल अनुसूची अलग - अलग स्कीमों के लिए अलग - अलग भरी जाएगी ।

भाग (ख) के खंड (i) में ऐसे जल निकायों को गिना जाएगा जिनका उपयोग पूर्व में सिंचाई के लिए किया जाता था किन्तु वर्तमान में मृतप्रायः हैं उनकी संख्या यहाँ अंकित की जाएगी, एवं खंड (ii) में इनमें से उन जल निकायों की संख्या अंकित की जाएगी जिनका पुनरोदधार संभव है, तथा

भाग (ग) में उन जल निकायों को गिना जाएगा जिनका उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया जाता किन्तु उनका उपयोग पीने के पानी, मत्स्य पालन या भूजल पुनर्भरण के उद्देश्य से किया जाता है। भाग (ग) में उन जल निकायों को गिना जाएगा जिनका उपयोग सिंचाई के उद्देश्य से नहीं बल्कि केवल पीने के पानी, मत्स्य पालन अथवा जल पुनर्भरण के लिए किया जा रहा हो। जिनकी संख्या भाग (i) में एवं क्षेत्र विस्तार भाग (ii) में अंकित किया जाएगा। यदि क्षेत्र विस्तार आयताकार हो तो लम्बाई, चौड़ाई का लगभग माप का अनुमान लेकर एवं इन मापों को गुणा करके क्षेत्रफल प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु यदि क्षेत्र विस्तार वृत्ताकार हो या दीर्घवृत्ताकार हो तो अनुमानित लम्बाई एवं चौड़ाई से प्राप्त परिमाण में 10-15% की कमी (लम्बाई - चौड़ाई में अन्तर को देखते हुए), क्षेत्रफल प्राप्त किया जाएगा।

10. यदि गाँव में किसी प्रकार की किसानों की कोई संस्था, मध्यम/ वृहद सिंचाई योजनाओं के लिए अथवा सार्वजनिक लघु सिंचाई योजनाओं के लिए स्थापित है, जो कि पानी के उपयोग संबंधी मामलों में निर्णय लेती हो तो इससे संबंधित उपस्थिति की जानकारी इस मद में हाँ के लिए 1 एवं नहीं के लिए 2 दाखिल की जाएगी।

सारांश

प्रत्येक लघु सिंचाई संरचना के लिए विस्तृत अनुसूची भरने के पश्चात सारांश जानकारी भरी जाएगी। गाँव में विस्तारित भूजल संरचनाओं एवं सतह जल योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रगणित करने के उपरांत इन योजनाओं की कुल संख्या, अनुसूची में दिये गए स्थान पर दर्ज की जाएगी जिससे प्रगणित जानकारी की पूर्णता सिद्ध हो सके।

प्रगणक का नाम एवं पद बड़े अक्षरों में साफ - साफ लिख कर दिनांक के साथ, हस्ताक्षर किए जायेंगे।

पर्यवेक्षक का नाम, पद बड़े अक्षरों में साफ - साफ लिख कर दिनांक के साथ, हस्ताक्षर किए जायेंगे।

प्रपत्र भरने हेत सामान्य अनुदेश
लघु सिंचाई योजना प्रपत्र- 1
भूजल योजना प्रपत्र

ग्राम में सभी भूमिगत सिंचाई योजनाएँ मुख्यतः खोदे गये कुंए, उथलें नलकूप एवं गहरे नलकूप जो मुख्य रूप से सिंचाई के उपयोग में लाई जाती है, उनकी पूर्ण गणना की जाएगी। ग्राम की सभी भूजल लघु सिंचाई योजनाओं की सूचीबद्ध गणना की जाएगी यह भी सुनिश्चित किया जाये कि कोई योजना छूटी न हो। सिंचाई संरचनाओं के अंतर्गत वे जो कि 2006-07 के दौरान या उससे पहले से, स्थायी रूप से उपयोग में नहीं है, यह प्रमाणित हो चुका है, उनको नहीं गिना जाएगा। एवं यह भी ध्यान में रखा जाये कि ऐसी स्थिति में केवल उस ग्राम में स्थित योजना की ही गणना की जाये जिस ग्राम में वह स्थित है। यदि किसी स्कीम का कमान क्षेत्र एक से अधिक गाँव में फैला है तो ऐसी स्थिति में उसे केवल **एक स्कीम ही** गिना जाएगा ना कि दो या अधिक स्कीम, वो भी उस गाँव के लिए जहाँ कि वह स्कीम स्थित है। प्रत्येक योजना के लिए पृथक-पृथक प्रपत्र भरे जायें।

वर्ष 2013-14 के दौरान एवं इससे पूर्व स्थापित योजनाओं के लिए प्रपत्र भरे जायेंगे।

I. पहचान :

राज्य, जिला खंड (तहसील) / तथा ग्राम के कोड भरने हेतु निर्धारित कोड सूची का उपयोग किया जाएगा। यदि 2006-07 के बाद कोई नया जिला, खंड अथवा ग्राम का सृजन किया गया है तो संबंधित राज्य द्वारा उसके लिए नया कोड देकर अद्यतन किया जाएगा तथा एनआईसी को सूचित किया जाएगा।

II. विशिष्ट जानकारी :-

मद क्रमांक -1 योजना की क्रम संख्या :-

ग्राम की समस्त भूजल लघु सिंचाई योजनाओं को क्रमवार सरल क्रमांक देकर सूचीबद्ध करेंगे। यह नंबर उस योजना हेतु मात्र पहचान के लिए दिया जायेगा।

मद क्रमांक -2 योजना का प्रकार :-

योजना का प्रकार निम्न प्रकार दिये कोड से दर्ज किया जाए

क्र.सं	योजना का नाम	कोड क्रमांक
1.	खोदे गए कुंए	1

2.	उथले नलकूप	2
3.	मध्यम गहरे नलकूप	3
4.	गहरे नलकूप	4

मद क्रमांक -3 योजना का स्वामी :-

योजना का स्वामी या तो किसान (अकेला) /सहकारी समिति /योजना /शासकीय विभाग / संस्था / कृषक समुदाय हो सकते हैं। योजना के स्वामी के लिए इस मद में निर्धारित कोड दिया जाना चाहिए। यदि योजना का स्वामी उपस्थित नहीं है, तब पड़ोसी या किसी अन्य व्यक्ति से योजना की स्थिति के संबंध में पूछताछ की जाए। यदि योजना का स्वामी अकेला कृषक हो, तो स्वामी का नाम भी लिखा जाये।

क्र.	विवरण	कोड क्रमांक
1.	शासकीय विभाग	1
2.	सहकारी समिति	2
3.	पंचायत	3
4.	कृषकों का समुदाय	4
5.	अकेला कृषक	5
6.	अन्य	9

मद क्रमांक -4 (क) खसरा/बटासंख्या,सर्वे संख्या / जे.एल संख्या / मौजा संख्या जहां पर (साधन) योजना स्थापित है :-

योजना जिस जगह पर स्थापित है उसका खसरा/बटा नंबर दिया जाए ताकि आवश्यकता होने पर भौतिक सत्यापन किया जा सके।

मद क्रमांक -4 (ख) योजना की स्थापना का विवरण :-

योजना के पहचान के विवरण हेतु स्थान का नाम, विशेष भूमि चिन्ह, वार्ड नंबर, पुरवा या छोटा गांव का नाम, सड़क का नाम इत्यादि, जो योजना के चिन्हांकन (स्थापन जगह) हेतु सहायता कर सकें, का उल्लेख करेंगे। इसके अतिरिक्त योजना के चिन्हांकन के लिए स्थायी चिन्ह जैसे कि नजदीक का कोई पेड़/ इमारत/ मंदिर/कोई छोटी मीनार या किसी पहाड़ी/ नाला/ नहर/ सड़क की उपस्थिति दिशा के साथ दी जा सकती है।

मद क्रमांक-5(क) स्वामी की कुल धारित भूमि का क्षेत्रफल (0.000 हेक्टेयर में) :-

इस मद को केवल अकेले कृषक का स्वामित्व होने पर भरा जाये, कृषक के स्वामित्व की भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर (दशमलव के तीन अंक में) में अंकित किया जाए। यदि अनुसूची भरते समय कुल क्षेत्रफल लोकल इकाई में है तो पेंसिल से उस क्षेत्रफल को लिख लिया जाना है एवं बाद में कैलकुलेटर द्वारा लोकल इकाई से हेक्टेयर में परिवर्तित करने के पश्चात ही अनुसूची में अंतिम रूप से दर्ज करना चाहिए।

मद क्रमांक -5 (ख) योजना के स्वामी की सामाजिक स्थिति (सिर्फ अकेला स्वामी होने की स्थिति में) :-

इस मद में केवल अकेले कृषक का स्वामित्व होने पर ही भरा जाये, कृषक की सामाजिक स्थिति के अनुसार उपयुक्त कोड निम्नानुसार दिया जाए।

सामाजिक स्थिति केवल केंद्र सरकार के अधिसूचना अनुरूप ही भरी जानी चाहिए। कुछ राज्य सरकार के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग में रोजगार के लिए कुछ जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाता है जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत पिछड़े वर्ग में नहीं वर्गीकृत होते हैं अतः यदि सामाजिक स्थिति का वर्गीकरण राष्ट्रीय स्तर पर निम्न अनुरूप वैधिकृत एवं स्वीकृत है तो ही दर्ज किया जाना चाहिए।

क्र.सं	विवरण	कोड क्रमांक
1.	अनुसूचित जाति	1
2.	अनुसूचित जनजाति	2
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4.	अन्य	9

मद क्रमांक -6 योजना के अधिपत्य में आने का वर्ष :-

योजना के अधिपत्य में आने के वर्ष के उचित कोड का उल्लेख किया जायेगा। जिस योजना का स्थापन समय 2006-07 के दौरान या 2006-07 के पहले हुआ हो, तो उसका कोड-1 दर्शाया जाएगा।

क्र. सं	विवरण	कोड	क्र. सं	विवरण	कोड
1.	2006-07 के दौरान या पहले	1	5.	20010-11 के दौरान	5
2.	2007-08 के दौरान	2	6.	2011-12 के दौरान	6

3.	2008-09 के दौरान	3	7.	2012-13 के दौरान	7
4.	2009-10 के दौरान	4	8.	2013-14 के दौरान	8

पाँचवी लघु सिंचाई गणना में शामिल की जाने वाली स्कीमों हेतु अनुसूचि को भरते समय ध्यान रखा जाना चाहिए। भूमिगत सिंचाई संरचनाओं के अंतर्गत वे योजना जो कि 2006-07 के दौरान या उससे पहले से, स्थायी रूप से उपयोग में नहीं है, यह प्रमाणित हो चुका है, नहीं गिना जाएगा। यदि मद क्रमांक 6 के लिए कोड 1 लिखा जाता है तो ऐसी स्थिति में या तो स्कीम 'उपयोग में' होगी अन्यथा 'अस्थाई रूप से उपयोग में नहीं है' मानी जाएगी।

मद क्रमांक -7 योजना की प्रकृति :-

यह मद केवल कुएं हेतु ही भरा जाएगा, यदि किसी स्थिति में कुओं में बोरवेल भी लगे हो तो स्कीम, 'कुआँ-सह-बोरवेल' में वर्गीकृत की जाएगी और यदि स्कीम 'कुआँ-सह-बोरवेल' नहीं है तो वर्गीकरण, कुएं की चिनाई की स्थिति के आधार पर पक्का कुआँ, कच्चा कुआँ में किया जाएगा। किसी भी 'कुआँ-सह-बोरवेल' को पक्का कुआँ, कच्चा कुआँ के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

मद क्रमांक -8 योजना का विवरण :-

कुएं/नलकूप/ कुआँ-सह-बोरवेल' की गहराई, व्यास, बोर की गहराई, समीपतम कुएं/नलकूप से दूरी मीटर में दी जाएगी (नलकूप के व्यास को मिमी में अंकित किया जाएगा)।

मद क्रमांक -9 (क) योजना की लागत मशीनरी सहित, यदि कोई हो (रूपयों में) :-

2006-07 में या उसके बाद योजना के प्रतिस्थापित करते समय उसके निर्माण का लागत मूल्य प्रतिवेदित किया जाए।

योजना में लगी प्रतिस्थापन लागत, कुएं/ नलकूप की खुदाई में लगी लागत, नाले में लगी चिनाई की लागत, जल वितरण प्रणाली में लगी जोड़ की लागत, कुएं/ नलकूप को ढकने के लिए किसी प्रकार का छोटी झोपड़ी या छोटे कमरे पर लगी लागत को मिलाकर अंकित किया जाएगा। नलकूप के लिए कुल प्रतिस्थापित लागत मूल्य, बिजली की तारों को नलकूप के स्थान तक पहुँचाने में लगी खंभों (पोल) की लागत मिलाकर होगी।

मद क्रमांक -9 (ख) मशीनरी का मूल्य यदि कोई हो (रूपयों में) :-

यदि किसी योजना में कोई मशीनरी लगाई जाती है तो उसके सामान पर आये व्यय को यहां दर्ज किया जाना है। जल निकालने के लिए लगी मोटर/ यंत्र/ पाइप, ड्रिप या स्प्रींकलर (फव्वारा) प्रणाली में लगी लागत, सम्मिलित रूप से मशीनी लागत में दर्ज की जाएगी।

मद क्रमांक -9 (ग) वर्ष 2013-14 में मरम्मत पर व्यय :

वर्ष 2013-14 में मरम्मत पर व्यय यहां दर्ज किया जाना है।

मद क्रमांक -10(क) मुख्य दो वित्तीय स्रोतों की जानकारी:-

इस मद का उद्देश्य योजना के निर्माण का मुख्य वित्तीय स्रोतों को ज्ञात करना है। जो कि कृषकों द्वारा स्वयं की बचत, बैंक ऋण या शासकीय अनुदान हो सकता है। अधिकतम दो प्रमुख वित्तीय स्रोतों के उपयुक्त कोड यहां दर्ज किये जाने हैं।

यदि योजना के निर्माण के लिए धनराशि दो से अधिक स्रोतों से प्राप्त की है, तब ऐसी स्थिति में सबसे अधिक राशि जिन दो स्रोतों से ली है, उनके कोड क्रमांक अंकित किये जाने हैं।

क्र.सं	विवरण	कोड क्रमांक
1.	बैंक ऋण	1
2.	शासकीय निधि	2
3.	कृषक द्वारा स्वयं की बचत	3
4.	साहूकार से ऋण	4
5	अन्य	9

मद क्रमांक -10 (ख) भारत सरकार / पीएसयू द्वारा दिया गया अनुदान:-

यदि किसी योजना के प्रतिस्थापन के अंतर्गत खुदाई या मशीन की खरीद / वितरण प्रणाली के संबंध में किसी प्रकार का अनुदान दिया गया हो तो अनुदान की राशि पूर्ण रु. में अंकित की जाएगी। (जैसे मनरेगा के अंतर्गत कुएं/ नलकूप के प्रतिस्थापन के लिए, जल वितरण प्रणाली के लिए, भूमिगत अधिष्ठापन के अंतर्गत विमुक्त की गई अनुदान राशि)।

मद क्रमांक -11 (क) योजना की वर्तमान स्थिति :-

इस मद का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि वर्तमान में योजना उपयोग में आ रही है या स्थाई अथवा अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं आ रही है, जिसके लिए कोड निम्नानुसार अंकित किया जाए।

क्र.सं	विवरण	कोड क्रमांक
1.	योजना उपयोग में आ रही	1
2.	अस्थाई रूप से उपयोग में नहीं ।	2
3.	स्थाई रूप से उपयोग में नहीं ।	3

जो कुएं/ नलकूप विगत दो वर्षों से अस्थाई कारणों से उपयोग में नहीं आ रहे हैं किंतु अनुपयोगी भी घोषित नहीं हुए हैं उसको “अस्थाई रूप से उपयोग में नहीं आ रहा है” में वर्गीकृत करेंगे । अन्यथा उसको “स्थाई रूप से उपयोग में नहीं आ रहा है” में वर्गीकृत करेंगे ।

मद क्रमांक -11 (ख) कब से उपयोग में नहीं :-

इस मद में उपयोग में नहीं होने के समय की अवधि वर्षों में अंकित की जाएगी ।

मद क्रमांक -12 योजना के अस्थाई रूप से “उपयोग में नहीं”होने के कारण का कोड (मद क्रमांक -11 (क) में कोड क्रमांक -2 अंकित होने पर) :-

योजना के “अस्थाई रूप से उपयोग में नहीं”होने के कारण का कोड दिया जाना चाहिए जो निम्नानुसार है :-

क्र.सं	विवरण	कोड क्रमांक
1.	अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति	1
2.	यांत्रिकी अवरोध	2
3.	कुएं/नलकूप से पानी का कम निकलना	3
4.	धन की कमी	4
5.	रखरखाव की कमी	5
6.	अन्य	9

मद क्रमांक -13 योजना के स्थाई रूप से “उपयोग में नहीं”होने के कारण का कोड (मद क्रमांक -11 (क) में कोड क्रमांक -3 अंकित होने पर) :-

योजना के “स्थाई रूप से उपयोग में नहीं”होने के कारण के लिए निम्नानुसार कोड देना चाहिए :-

क्र. सं	विवरण	कोड क्रमांक
---------	-------	-------------

1.	पानी के लवण युक्त होने के कारण	1
2.	सूख जाने के कारण	2
3.	स्थाई रूप से क्षतिग्रस्त हो गया और मरम्मत लायक नहीं	3
4.	समुद्री जल अतिक्रमण के कारण	4
5.	उद्योगों के प्रदूषित जल बहाव के कारण	5
6.	ब्रह्म/मध्यम जल परियोजना की उपलब्धता के कारण	6
7.	अन्य कारण	9

मद क्रमांक -14 पानी के वितरण/प्रयुक्त करने की विधि :-

वर्तमान में कृषकों द्वारा परंपरागत विधियों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन अपनाये जा रहे हैं। परंपरागत विधि भू-सतह पर पानी की नाली और भूमिगत पानी की नालियों के अतिरिक्त पाइप,स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई विधि ज्यादा लोकप्रिय हो रही है। कृषकों द्वारा उपयोग में लाए गए पानी के वितरण की विधि/यंत्र का उपयुक्त कोड निम्नानुसार दर्शाया जाए।

क्र. सं	विवरण	कोड क्रमांक
1.	खुली पानी की नालियां (पक्की)	1
2.	खुली पानी की नालियां (कच्ची)	2
3.	भूमिगत नालियां	3
4.	भू-सतह पाइप	4
5.	ड्रिप (टपक) विधि द्वारा सिंचाई	5
6.	स्प्रिंकलर (फुब्बारा) विधि	6
7.	अन्य विधि	9

मद क्रमांक -15(क) जल उन्नयन संयंत्रों की संख्या :-

कुंए से जल निकासी हेतु उपयोग में लाए गए संयंत्रों की संख्या यहां प्रदर्शित की जाएगी।

मद क्रमांक -15 (ख) कुंए से पानी निकालने हेतु उपयोग में लाये गए साधनों का उचित कोड (अधिकतम दो) :-

कुंए से पानी निकालने हेतु उपयोग में लाये गए साधनों का उचित कोड निम्नानुसार दिया जाए।अधिकतम दो का उपयुक्त कोड दर्शाया जाए:-

क्र.सं	विवरण	कोड क्रमांक
1.	सबमर्सिबल पंप	1
2.	सेन्ट्रीक्यूगल पंप	2
3.	टरबाईन पंप	3
4	मानव श्रम /पशु शक्ति द्वारा परिचालित	4
6	अन्य	9

कुओं के संबंध में, यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि यदि जल निष्काशन हेतु कोई विद्युत/सौर ऊर्जा अथवा डीजल द्वारा चालित उद्वहन साधन उपयोग में लाया गया है तो वह योजना कुआँ-सह-बोरवेल' के अंतर्गत वर्गीकृत की जाएगी ।

मद क्रमांक -16 ऊर्जा का स्रोत :-

पानी निकालने के सिंचाई साधनों को चलाने के लिए उपयोग किये ऊर्जा के स्रोतों में से अधिकतम दो का उपयुक्त कोड निम्नानुसार दर्शाया जाए ।

क्र. सं.	विवरण	कोड क्रमांक
1.	विद्युत	1
2.	डीजल	2
3.	पवन चक्की	3
4	सौर ऊर्जा	4
5	मानव श्रम/पशु शक्ति द्वारा परिचालित	5
7	अन्य	9

मद क्रमांक -17 उद्वहन साधन की अश्व शक्ति

उपयोग में लाये गए पानी निकालने के मुख्य साधन की अश्व शक्ति (HP)दर्ज किया जाना है । मानव श्रम/पशु शक्ति द्वारा चलित साधन की स्थिति में इस मद को (X) क्रस किया जाएगा ।यदि उपयोग में लाए गए उद्वहनों की एक से अधिक है तो सम्मिलित रूप से सभी उद्वहन यंत्रों की कुल अश्व शक्ति दर्ज की जायेगी ।

मद क्रमांक -18 पंप उपयोग करने के दिवस :-

किसान द्वारा सूचित किए गए, मौसमवार, पंप उपयोग के दिवसों की संख्या दी जायेगी। यदि एक से अधिक साधनों का उपयोग किया गया है तो सभी साधनों के कुल उपयोग दिवसों की संख्या दी जायेगी ।

मद क्रमांक -19 पम्प चालन के औसत दिवस :-

इस मद में किसान द्वारा सूचित किए गए मौसम/फसल-वार प्रति दिवस औसत घंटों की संख्या दी जाएगी। यदि एक से अधिक साधनों का उपयोग किया गया है तो सभी साधनों के कुल चालन के घंटों की संख्या दी जायेगी।

मद क्रमांक -20 कृषि सिंचाई क्षमता (सीसीए) :-

इस मद के अंतर्गत भौतिक रूप से कृषि योग्य क्षेत्रफल हेक्टेयर में दर्ज किया जायेगा जो कि किसी साधन द्वारा प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र है। प्रायः यह साधन के निर्माण के समय योजना के द्वारा प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र का माप होता है। योजना बहुत पुरानी होने की स्थिति में और उसका प्रस्तावित क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में वर्तमान में योजना से अधिकतम सिंचाई का क्षेत्रफल अंकित कर सकते हैं। यदि योजना के द्वारा अन्य गांव की भूमि का क्षेत्र भी सिंचित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उसका संपूर्ण क्षेत्रफल (सीसीए) भी इस योजना में शामिल किया जाना चाहिए।

मद क्रमांक -21 क्या योजना नहर जैसी बृहद/ मध्यम जल परियोजना के अंतर्गत स्थित है:-

कुछ लघु सिंचाई के साधन बृहद एवं मध्यम योजना के सिंचित क्षेत्र में स्थित होते हैं जिसका संयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है। ऐसी लघु सिंचाई योजनाओं की भी गणना की जानी है। ऐसी स्थिति में उनके उपयोग के अनुसार उपयुक्तकोड निम्नानुसार अंकित किया जाए:-

क्र.	विवरण	कोड क्रमांक
1.	नहीं	1 (मद क्रमांक 34 से 38 तक रिक्त रखने पर)
2.	हां	2 (मद क्रमांक 27 से 31 तक रिक्त रखने पर)
3.	हां (केवल भूजल स्तर में वृद्धि के लिए)	3 (मद क्रमांक 22 से 38 तक रिक्त रखने पर)

मद क्रमांक -22 से 26 मौसमवार जोते गये क्षेत्रफल की निर्मित सिंचाई क्षमता (IPC) :-

इसका उद्देश्य योजना के अंतर्गत सिंचाई साधनों से कुल निर्मित सिंचाई क्षमता ज्ञात करना है। इसके अंतर्गत खरीफ, रबी, बारहमासी और अन्य सिंचाई के लिए प्रस्तावित फसलें दर्शाई जाएंगी। मद 26 में, मद 22 से मद 25 तक का योग दर्शाया जायेगा। संबंधित योजना के द्वारा प्रस्तावित सिंचित क्षेत्रफल, मौसमवार मद क्रमांक (मद) 22, 23, 24 और 25 दर्शाया

जायेगा । यदि योजना को उन्नत किया गया है तो उसकेद्वारा कुल संशोधित सिंचित क्षेत्रफल मद क्रमांक 26 में दर्शाया जायेगा । सिंचाई क्षमता का क्षेत्रफल दशमलव के दो अंकों तक दर्ज किया जाएगा ।

मद क्रमांक -27 से 31 वर्ष 2013-14 के दौरान मौसमवार वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल :-

इस मद में वर्ष 2013-14 के दौरान खरीफ, रबी, बारहमासी व अन्य मौसम में वास्तविक रूप से सिंचित क्षेत्रफल अंकित किया जाएगा । मद क्रमांक 31 में उपयोग की गई सकल सिंचाई क्षमता दर्ज की जाएगी । मद क्रमांक -31 में मद क्रमांक 27 से 30 तक का योग दिया जायेगा । मद क्रमांक 31 में दर्ज क्षेत्रफल से मद क्रमांक 26 का क्षेत्रफल का योग बराबर या कम होगा ।

मद क्रमांक - 32 योजना का भलीभांति कार्य करने की स्थिति :-

योजना के कार्य करने की स्थिति यदि ठीक है तो हाँ के लिए 1, नहीं तो 2 दी जाएगी ।

मद क्रमांक - 33 यदि योजना भली प्रकार से कार्य नहीं कर रही है तो किसी वर्ष में अधिकतम क्षमता का उपयोग :-

योजना के कार्य करने की स्थिति यदि ठीक नहीं है तो योजना के स्थापित होने से वर्तमान समय तक गत वर्षों में किसी वर्ष में अधिकतम क्षमता का उपयोग (हे. में) यहां दिया जाएगा ।

मद क्रमांक -34 से 38 लघु सिंचाई योजना द्वारा वर्ष 2013-14 में मौसमवार सिंचित क्षेत्रफल, वृहद या मध्यम परियोजना के सिंचित क्षेत्र में पूरक सिंचाई के स्रोत के रूप में उपयोजित :-

यदि योजना वृहद या मध्यम परियोजना के सिंचित क्षेत्र में पूरक सिंचाई के स्रोत के रूप में हो ।इस मद में केवल उन्हीं लघु सिंचाई योजनाओं की जानकारी दी जानी है जो बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना के सिंचितक्षेत्र में स्थित है और जिनका सिंचाई की वृद्धि के लिए उपयोग किया जाता है जैसे कि कुआं/नलकूप, जो की बृहद एवं मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है इसका निर्धारण अतिरिक्त सिंचाई में वृद्धि से किया जाता है। आंकड़े, मद 34 से 37 में दर्ज किए जाए । यदि मद 38 में कुछ क्षेत्रफल अंकित है तो बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना के सिंचित क्षेत्र में लघु सिंचाई योजना के उपयोग के कारण टिप्पणी में दिये जाने चाहिए ।

इस मद का उद्देश्य योजना की उपयोग की गई सिंचाई क्षमता दर्ज करना है ऐसी स्थिति में कुल सिंचितक्षेत्रफल उस अनुपात में विभाज्य होगा जितनी बार क्षेत्र सींचा गया है। उदाहरण के लिए यदि कोई क्षेत्र लघु सिंचाई योजना द्वारा दो बार सींचा गया हो और वृहद या मध्यमयोजना द्वारा तीन बार सींचा गया हो तब लघु सिंचाई योजना की उपयोग की गई सिंचाई क्षमता 2/5 गुना भूमि का क्षेत्रफल होगा।

मद क्रमांक - 39 सिंचाई कार्य के कम उपयोग होने का कारण :-

इस मद के अंतर्गत योजना के सिंचाई कार्य के कम उपयोग न होने का कारण (पूर्ण उपयोग न होने के कारण) का कोड अंकित किया जाये। इसके अंतर्गत पूर्ण उपयोग न होने वाली वहीं योजनाएं सम्मिलित होगी जिनकी प्रयुक्त सिंचाई क्षमता, सृजित सिंचाई क्षमता से कम हो।

क्र.	विवरण	कोड क्रमांक
1.	अपर्याप्तविद्युत आपूर्ति	1
2.	यांत्रिकी खराबी	2
3.	कुंए/ नलकूप में कम पानी का उपलब्ध होना	3
4	धन की अनुपलब्धता	4
5	रख रखाव की कमी	5
6	अन्य कारण	9

लघु सिंचाई योजना प्रपत्र- 3
प्रपत्र भरने हेत सामान्य अनुदेश-2
भू-सतह योजना प्रपत्र

सभी भू-सतह योजनाओं में मुख्यतः भू-सतह प्रवाहित एवं उद्वहन योजना जो पूर्ण हैं एवं मुख्य रूप से सिंचाई के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। ग्राम की सभी भू-सतह लघु सिंचाई योजनाओं की सूचीबद्ध गणना की जाएगी यह भी सुनिश्चित किया जाये कि कोई योजना छूटी न हो सिंचाई संरचनाओं के अंतर्गत वे जो कि 2006-07 के दौरान या उससे पहले से, स्थायी रूप से उपयोग में नहीं है, यह प्रमाणित हो चुका है, उनको नहीं गिना जाएगा। यह भी ध्यान में रखा जाये कि ऐसी स्थिति में केवल उस ग्राम में ही योजना की गणना की जाये जिस ग्राम में वह स्थित है। यदि किसी स्कीम का कमान क्षेत्र एक से अधिक गाँव में फैला है तो ऐसी स्थिति में उसे केवल एक स्कीम ही गिना जाएगा ना कि दो या अधिक स्कीम, वो भी उस गाँव के लिए जहाँ की वह स्कीम उपस्थित है। प्रत्येक योजना के लिए पृथक-पृथक पत्रक भरे जायें।

वर्ष 2013-14 के दौरान स्थापित एवं इससे पूर्व स्थापित योजनाओं के प्रपत्र भरे जायेंगे।

I. पहचान :

राज्य, जिला खंड तथा ग्राम के कोड भरने हेतु निर्धारित कोड सूची का उपयोग किया जाएगा। यदि 2006-07 के बाद कोई नया जिला, खंड अथवा ग्राम का सृजन किया गया है तो संबंधित राज्य द्वारा उसके लिए नया कोड देकर अद्यतन किया जाएगा तथा एनआईसी को सूचित किया जाएगा।

II. विशिष्ट जानकारी :-

मद क्रमांक -1 योजना का क्रम संख्या :-

योजनाओं की गणना करते हुये योजना को क्रमवार सरल क्रमांक 1,2, देकर सूचीबद्ध करेंगे। यह नंबर उस योजना हेतु मात्र पहचान के लिए दिया जायेगा।

मद क्रमांक -2 योजना का प्रकार :-

योजना का प्रकार दिये कोड से दर्ज किया जाए :-

क्र.	योजना का नाम	कोड क्रमांक
1.	भू - सतह प्रवाहित	1
2.	भू- सतह उद्वहन	2

मद क्रमांक -3 योजना का स्वामी :-

योजना का स्वामी या तो किसान (अकेला) /सहकारी समिति /योजना /शासकीय विभाग / संस्था / कृषक समुदाय हो सकते हैं। योजना के स्वामी का नाम (यदि एकल कृषक हो तो) इस मद में निर्धारित कोड दिया जाना चाहिए । यदि योजना का स्वामी उपस्थित नहीं है, तब पड़ोसी या किसी अन्य व्यक्ति से योजना की स्थिति के संबंध में पूछताछ की जाए । यदि योजना का स्वामी अकेला कृषक हो, तो कृषक का नाम भी लिखा जाये ।

क्र.	विवरण	कोड क्रमांक
1.	शासकीय विभाग	1
2.	सहकारी समिति	2
3.	पंचायत	3
4.	कृषकों का समुदाय	4
5.	अकेला कृषक	5
6.	अन्य	6

मद क्रमांक -4 खसरा/बटासंख्या,सर्वे संख्या / जे.एल संख्या / मौजा संख्या जहां पर (साधन) योजना स्थापित है :-

योजना जिस जगह पर स्थापित है उसका खसरा/बटा संख्या दी जाए ताकि आवश्यकता होने पर भौतिक सत्यापन किया जा सके ।

मद क्रमांक -5 (क) स्वामी की कुल धारित जोत का क्षेत्रफल (0.000 हेक्टेयर में) :-

इस मद को केवल अकेले कृषक का स्वामित्व होने पर भरा जाये, कृषक के स्वामित्व की जोत का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में दशमलव के तीन अंकों में अंकित किया जाए ।

मद क्रमांक -5 (ख) योजना के स्वामी की सामाजिक स्थिति (सिर्फ अकेला स्वामी होने की स्थिति में) :-

इस मद में केवल अकेले कृषक का स्वामित्व होने पर ही भरा जाये, कृषक की सामाजिक स्थिति के अनुसार उपयुक्त कोड निम्नानुसार दिया जाए। सामाजिक स्थिति केवल केंद्र सरकार के अधिसूचना अनुरूप ही भरी जानी चाहिए। कुछ राज्य सरकार के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग में रोजगार के लिए कुछ जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल किया होता है जो की केंद्र सरकार के अंतर्गत पिछड़े वर्ग में नहीं वर्गीकृत होते हैं अतः यदि सामाजिक स्थिति का वर्गीकरण राष्ट्रीय स्तर पर निम्न अनुरूप वैधिकृत एवं स्वीकृत है तो ही दर्ज किया जाना चाहिए।

क्र.	विवरण	कोड क्रमांक
1.	अनुसूचित जाति	1
2.	अनुसूचित जनजाति	2
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4.	अन्य	9

मद क्रमांक -6 योजना के अधिपत्य में आने का वर्ष :-

योजना के अधिपत्य में आने के वर्ष का उचित कोड का उल्लेख किया जायेगा। जिस योजना का स्थापन समय 2006-07 के दौरान या 2006-07 के पहले हुआ हो, तो उसका कोड-1 दर्शाया जाएगा।

1.	2006-07 के दौरान या पहले	1
2.	2007-08 के दौरान	2
3.	2008-08 के दौरान	3
4.	2009-10 के दौरान	4
5.	2010-11 के दौरान	5
6.	2011-12 के दौरान	6
7.	2012-13 के दौरान	7
8.	2013-14 के दौरान	8

मद क्रमांक -7 योजना की प्रकृति :-

इस मद के लिए दिये गए कोड के आधार पर सूचना दर्ज की जाएगी ।

सतही प्रवाह योजना के लिए : जलाशय - 1, तालाब/ हौज़ -2,
अन्य जल भंडार-3, स्थायी विपथन- 4, अस्थायी विपथन-
5 , जल संरक्षण-सह-भूजल पूर्ति योजना /जलरिसाव हौज़/
बहाव रोधी बांध आदि - 6, झरना नाली - 7, अन्य- 9 ;
सतही उन्नयन योजना हेतु : नदी पर - 1, धारा पर - 2,
नाले/ नहर पर - 3 , हौज़/तालाब/ जलाशय पर - 4, अन्य
-9

मद क्रमांक -8 योजना के प्रतिस्थापित/ निर्मित किए जाने की कुल लागत :-

2006-07 में या उसके बाद योजना के प्रतिस्थापित करते समय उसके निर्माण का लागत मूल्यप्रतिवेदित किया जाए ।

योजना में लगी प्रतिस्थापन / निर्माण तथा कोई मशीनरी लागत (जो की प्रतिस्थापन / निर्माण के समय लगी हो) को मिलाकर कुल लागत अंकित किया जाएगा ।

मद क्रमांक -9 (क) दो प्रमुख वित्तीय स्रोतों की जानकारी :-

इसका उद्देश्य योजना के निर्माण हेतु दो मुख्य वित्तीय स्रोतों को ज्ञात करना है । जो कि कृषकों द्वारा स्वयं की बचत, बैंक ऋण या शासकीय अनुदान हो सकते हैं । दो प्रमुख वित्तीय स्रोतों के उपयुक्त कोड यहां दर्ज किये जायेंगे।

यदि योजना के निर्माण के लिए धनराशि दो से अधिक स्रोतों से प्राप्त की है, तब ऐसी स्थिति में सबसे अधिक राशि जिन दो स्रोतों से ली है, उनके कोड क्रमांक अंकित किये जायेंगे ।

क्र.	विवरण	कोड क्रमांक
1.	बैंक ऋण	1
2.	शासकीय निधि	2
3.	कृषक द्वारा स्वयं की बचत	3
4.	साहूकार से प्राप्त	4
5	अन्य	5

मद क्रमांक - 9 (ख) भारत सरकार / पीएसयू द्वारा दिया गया अनुदान:

यदि किसी योजना के प्रतिस्थापन/ निर्माण के अंतर्गत खुदाई या मशीन की खरीद / वितरण प्रणाली के संबंध में किसी प्रकार का अनुदान दिया गया हो तो अनुदान की राशि पूर्ण रूप में अंकित की जाएगी।

मद क्रमांक -10 (क) योजना की वर्तमान स्थिति :-

इस जानकारी का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि वर्तमान में योजना उपयोग में आ रही है या स्थाई या अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं आ रही है, जिसके लिए कोड निम्नानुसार अंकित किया जाए ।

क्र.	विवरण	कोड क्रमांक
1.	योजना उपयोग में आ रही	1
2.	अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं आ रही ।	2
3.	स्थायी रूप से उपयोग में नहीं आ रही ।	3

जो योजनाएं विगत दो वर्षों से अस्थायी कारणों से उपयोग में नहीं आ रहे हैं किंतु अनुपयोगी भी घोषित नहीं हुए हैं उसको “अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं आ रहा है” में वर्गीकृत करेंगे । अन्यथा उसको “स्थायी रूप से उपयोग में नहीं आ रहा है” में वर्गीकृत करेंगे ।

मद क्रमांक -10 (ख) कब से उपयोग में नहीं :-

इस मद में ‘उपयोग में नहीं’ की अवधि वर्षों में अंकित की जाएगी ।

मद क्रमांक -11 योजना के अस्थायी रूप से “उपयोग में नहीं” आने के लिए उसके कारण का कोड (मद क्रमांक -10 (क) में कोड क्रमांक -2 अंकित करने पर) :-

योजना के “अस्थायी रूप से उपयोग में नहीं” आने के कारण का कोड दिया जाना चाहिए जो निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	कोड क्रमांक
1.	अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति	1
2.	यांत्रिकी अवरोध	2
3.	स्रोत से पानी का कम निकलना	3
4.	भण्डारण का पूरी तरह ना भरना	4

5	नहर या भण्डारण में गाद जमा होना	5
6	चैनल टूट जाना	6
7	अन्य कारण	9

मद क्रमांक -12 योजना के स्थाई रूप से “उपयोग में नहीं” आने के कारण का कोड (मद क्रमांक -10 (क) में कोड क्रमांक -3 अंकित करने पर)

:-

योजना के “स्थायी रूप से उपयोग में नहीं” आने के कारण के लिए निम्नानुसार कोड देना चाहिए :-

क्र.	विवरण	कोड क्रमांक
1.	पानी के लवण युक्त होने के कारण	1
2.	सूख जाने के कारण	2
3.	स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गया और मरम्मत लायक नहीं	3
4	डूबने के कारणके कारण	4
5	अन्य कारण	9

मद क्रमांक -13 पानी के वितरण/प्रयुक्त करने की विधि :-

वर्तमान में कृषकों द्वारा परंपरागत विधियों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन अपनाये जा रहे हैं । परंपरागत विधि भू-सतह पानी की नाली और भूमिगत पानी की नालियों के बीच स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई विधि ज्यादा लोकप्रिय हो रही है ।

कृषकों द्वारा उपयोग में लाए गए पानी के वितरण की विधि/यंत्र का उपयुक्त कोड निम्नानुसार दर्शाया जाए ।

क्र.	विवरण	कोड क्रमांक
1.	खुली पानी की नालियां (पक्की)	1
2.	खुली पानी की नालियां (कच्ची)	2
3.	भूमिगत नालियां	3
4	भू-सतह पाइप	4
5	ड्रिप विधि द्वारा सिंचाई	5
6	स्प्रिंकलर (फुबबारा) विधि	6
7	अन्य विधि	9

मद क्रमांक -14 (क) जल उन्नयन संयंत्रों की संख्या :-

योजना द्वारा जल स्रोत से जल के उन्नयन हेतु उपयोग में लाए गए संयंत्रों की संख्या यहां प्रदर्शित की जाएगी ।

मद क्रमांक -14 (ख) जल उन्नयन संयंत्रों के प्रकार का उचित कोड :-

योजना द्वारा जल स्रोत से पानी निकालने हेतु उपयोग में लाये गए साधनों का उचित कोड निम्नानुसार दिया जाए। अधिकतम दो का उपयुक्त कोड दर्शाया जाए:-

क्र. सं.	विवरण	कोड क्रमांक
1.	सबमर्सिबल पंप	1
2.	सेन्ट्रीक्यूगल पंप	2
3.	टरबाईन पंप	3
4	मानव श्रम /पशु शक्ति द्वारा परिचालित	4
6	अन्य	9

मद क्रमांक -15 ऊर्जा का स्रोत :-

योजना द्वारा जल स्रोत से पानी निकालने के सिंचाई साधनों को चलाने के लिए उपयोग किये ऊर्जा के स्रोतों में से अधिकतम दो का उपयुक्त कोड निम्नानुसार दर्शाया जाए ।

क्र. सं.	विवरण	कोड क्रमांक
1.	विद्युत	1
2.	डीजल	2
3.	पवन चक्की	3
4	सौर ऊर्जा	4
5	मानव श्रम/पशु शक्ति द्वारा परिचालित	5
7	अन्य	9

मद क्रमांक -16 उद्वहन साधन की अश्व शक्ति :

(अ) उपयोग में लाये गए उद्वहन साधनों की संख्या

(आ) यदि उदाहन साधनों की संख्या एक से अधिक है तो सम्मिलित रूप से सभी उद्वहन यंत्रों की कुल अश्व शक्ति (HP) दर्ज की जायेगी । मुख्य साधन की अश्व शक्ति (HP) दर्ज किया जाना है । मानव श्रम/पशु शक्ति द्वारा चलित साधन की स्थिति में इस मद को (X) क्रास किया जाएगा ।

मद क्रमांक -17 पम्प उपयोग करनेके दिवस :-

किसान द्वारा सूचित किए गए, मौसमवार, पंप उपयोग के दिवसों की संख्या दी जायेगी । यदि एक से अधिक साधनों का उपयोग किया गया है तो सभी साधनों के कुल उपयोग दिवसों की संख्या दी जायेगी ।

मद क्रमांक -18 पम्प चालन के औसत दिवस :-

इस मद में किसान द्वारा सूचित किए गए मौसम/फसल-वार प्रति दिवस औसत घंटों की संख्या दी जाएगी । यदि एक से अधिक साधनों का उपयोग किया गया है तो सभी साधनों के कुल चालन के घंटों की संख्या दी जायेगी ।

मद क्रमांक -19 कृषि सिंचाई क्षमता (हे. में) :-

इस मद के अंतर्गत भौतिक रूप से कृषि योग्य क्षेत्रफल हेक्टेयर में दर्ज किया जायेगा जो कि किसी साधन द्वारा प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र है । प्रायः यह साधन के निर्माण के समय योजना के द्वारा प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र का माप होता है । योजना बहुत पुरानी होने की स्थिति में और उसका प्रस्तावित क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में वर्तमान में योजना से अधिकतम सिंचाई का क्षेत्रफल अंकित कर सकते हैं । यदि योजना के द्वारा अन्य गांव की भूमि का क्षेत्र भी सिंचित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उसका संपूर्ण क्षेत्रफल भी इस योजना में शामिल किया जाना चाहिए ।

मद क्रमांक -20 योजना के बृहद एवं मध्यम योजना के सिंचित-क्षेत्र में स्थित होने की स्थिति में:-

कुछ लघु सिंचाई के साधन बृहद एवं मध्यम योजना के सिंचित क्षेत्र में स्थित होते हैं जिसका संयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है । ऐसी लघु सिंचाई योजनाओं की भी गणना की जानी है । ऐसी स्थिति में उनके उपयोग के अनुसार उपयुक्तकोड निम्नानुसार अंकित किया जाए:-

क्र.	विवरण	कोड क्रमांक
1.	नहीं	1 (मद क्रमांक 33 से 37 तक रिक्त रखने पर)
2.	हां	2 (मद क्रमांक 26 से 30 तक रिक्त रखने पर)
3.	हां(केवल भूजल स्तर में वृद्धि के लिए)	3 (मद क्रमांक 21 से 37 तक रिक्त रखने पर)

मद क्रमांक -21 से 25 मौसमवार जोते गये क्षेत्रफल की निर्मित सिंचाई क्षमता (IPC) :-

इसका उद्देश्य योजना के अंतर्गत सिंचाई साधनों से कुल निर्मित सिंचाई क्षमता ज्ञात करना है । इसके अंतर्गत खरीफ, रबी, बारहमासी और अन्य सिंचाई के लिए प्रस्तावित फसलें दर्शाई जाएंगी । मद 25 में, मद 21 से मद 24 तक का योग दर्शाया जायेगा । संबंधित योजना के द्वारा प्रस्तावित सिंचित क्षेत्रफल, मौसमवार मद क्रमांक (मद) 21, 22, 23 और 24 दर्शाया जायेगा । यदि योजना को उन्नत किया गया है तो उसके द्वारा कुल संशोधित सिंचित क्षेत्रफल मद क्रमांक 25 में दर्शाया जायेगा । सिंचाई क्षमता का क्षेत्रफल दशमलव के दो अंकों तक दर्ज किया जाएगा ।

मद क्रमांक -26 से 30 : वर्ष 2013-14 के दौरान मौसमवार वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल (IPU) :-

इन खानों में वर्ष 2013-14 के दौरान खरीफ, रबी, बारहमासी व अन्य मौसम में वास्तविक रूप से सिंचित क्षेत्रफल अंकित किया जाएगा । मद क्रमांक 30 में उपयोग की गई सकल सिंचाई क्षमता दर्ज की जाएगी । मद क्रमांक - 30 में मद क्रमांक 26 से 29 तक का योग दिया जायेगा । मद क्रमांक - 30 में दर्ज क्षेत्रफल, मद क्रमांक 25 के क्षेत्रफल के योगके बराबर या कम होगा ।

मद क्रमांक - 31 योजना का भलीभांति कार्य करने की स्थिति :-

योजना के कार्य करने की स्थिति यदि हाँ है तो 1, नहीं तो 2 दी जाएगी ।

मद क्रमांक - 32 यदि योजना भली प्रकार से कार्य नहीं कर रही है तो किसी वर्ष में अधिकतम क्षमता का उपयोग :-

योजना के स्थापित होने से वर्तमान तक गत वर्षों में अधिकतम क्षमता का उपयोग (हे. में) यहां दिया जाएगा ।

मद क्रमांक -33 से 37 लघु सिंचाई योजना द्वारा वर्ष 2013-14 में मौसमवार सिंचित क्षेत्रफल, वृहद या मध्यम परियोजना के सिंचित क्षेत्र में पूरक सिंचाई के स्रोत के रूप में उपयोजित :-

यदि योजना वृहद या मध्यम परियोजना के सिंचित क्षेत्र में पूरक सिंचाई के स्रोत के रूप में हो ।

इस मद में केवल उन्हीं लघु सिंचाई योजनाओं की जानकारी दी जानी है जो वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना के सिंचित क्षेत्र में स्थित है और जिनका सिंचाई की वृद्धि

के लिए उपयोग किया जाता है जैसे कि टैंक/ तालाब/ नाले, जो की बृहद एवं मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है इसका निर्धारण अतिरिक्त सिंचाई में वृद्धि से किया जाता है। आंकड़े मद 33 से 37 में दर्ज किए जाए । यदि मद 37 में कुछ क्षेत्रफल अंकित है तो बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना के सिंचित क्षेत्र में लघु सिंचाई योजना के उपयोग के कारण टिप्पणी में दिये जाने चाहिए ।

इसका उद्देश्य योजना की उपयोग की गई सिंचाई क्षमता दर्ज करना है ऐसी स्थिति में कुल सिंचित क्षेत्रफल उस अनुपात में विभाज्य होगा जितनी बार क्षेत्र सींचा गया है । उदाहरण के लिए यदि कोई क्षेत्र लघु सिंचाई योजना द्वारा दो बार सींचा गया हो और वृहद या मध्यम योजना द्वारा तीन बार सींचा गया हो तब लघु सिंचाई योजना की उपयोग की गई सिंचाई क्षमता 2/5 गुना भूमि का क्षेत्रफल होगा ।

मद क्रमांक - 38 सिंचाई कार्य के कम उपयोग होने का कारण :- इस मद के अंतर्गत योजना के पूर्ण उपयोग न होने के कारण का कोड अंकित किया जाये। इसके अंतर्गत पूर्ण उपयोग न होने वाली वहीं योजनाएं सम्मिलित होगी जिनकी प्रयुक्त सिंचाई क्षमता, सृजित सिंचाई क्षमता से कम हो।

क्र.	विवरण	कोड क्रमांक
1.	अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति	1
2.	यांत्रिकी खराबी	2
3.	कम पानी निस्सरित होना	3
4.	भंडारण का पूर्ण न भरना	4
5.	नहर/जलाशय में मिट्टी (गाद) का जमाव	5
6.	वितरण नाली का टूट जाना	6
7.	कोई अन्य कारण	9

मद क्रमांक - 39 जलाशयों, टैंकों से संबंधित प्रमुख विशेषताएं :-

इस मद का उद्देश्य जल भण्डारण योजनाओं से संबंधित कुछ विशिष्ट जानकारियाँ एकत्र करना हैं ।

(क) रूपांकित भण्डारण क्षमता (घन मी. में): गाँव के रिकॉर्ड में उपलब्ध सभी जलाशय/ टैंक/ भण्डारण की क्षमता के लिए सतही क्षेत्रफल एवं औसत गहराई के माध्यम से, रूपांकित भण्डारण क्षमता एवं क्षमता का योग इस मद में दर्ज किया जाना है ।

(ख) भण्डारण की भरी गई क्षमता की स्थिति :

क्र.सं	विवरण	कोड क्रमांक
1.	पूर्णतः	1
2.	3/4	2
3.	1/2	3
4.	1/4	4
5.	शून्य	5

संदर्भ वर्ष के दौरान भण्डारण की अधिकतम भरण के आधार पर कोड दर्ज किया जाएगा।

(ग) भण्डारण के भरे जाने की स्थिति : पिछले पाँच सालों के आधार पर भंडारणों / जलाशयों के सामान्य रूप से भरे जाने संबंधित जानकारी :

क्र.सं	विवरण	कोड क्रमांक
1.	यदि प्रत्येक वर्ष भरा रहता है	1
2.	यदि सामान्य रूप से भरा रहता है	2
3.	यदि कभी कभारभरा रहता है	3
4.	यदि कभी नहीं भरा रहता है	4

(घ) योजना के अंतर्गत आने वाले गाँवों की संख्या इस मद में दर्ज की जाएगी।

खाता क्रमांक - 40: क्या योजना द्वारा भूमिगत जल स्तर बढ़ा है : -

इस संबंध में सूचना निम्नवार दी जाएगी;

क्र.सं	विवरण	कोड क्रमांक
1.	हाँ	1
2.	नहीं	2
3.	कहा नहीं जा सकता	3